तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2024	अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील उभय पक्ष एंव पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। 22.12.24 सदस्य सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 05 सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी) 22.12.24 अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 05	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 67/2019 — **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/00931**
दायर दिनांक :– 03.04.2019 — **निर्णय दिनांक :– 22.12.2024**

1. मनोहरराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी रिडमलनगर जाम्बा की ढाणी तहसील बाप

वादी...............

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड फलोदी
2. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादी.........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी का खेत खसरा नम्बर 417/1 रकबा 6 बीघा पैतृक भूमि जाम्बा की ढाणी में आई हुई है जिसकी जमाबंदी सम्वत 2072–75 की सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से पेश है। खसरा नम्बर 417 रकबा 11.13 बीघा जिस की खातेदारी वादी के स्वर्गीय पिता बगताराम एंव अन्य हिस्सेदार स्वर्गीय जोराराम, कानाराम, हीराराम, रामचन्द्रराम, खींयाराम, खानूराम के नाम से थी नकल जमाबंदी साथ में पेश है। खेत खसरा न्म्बर 417 रकबा 11.13 बीघा सरहद जाम्बा की ढाणी वाला खेत मेरे पिता स्वर्गीय बगताराम एवं स्वर्गीय जोराराम के बंट में आया हुआ था हमारे पारिवारिक बंटवाड़े के अनुसार खेत खसरा नम्बर 417 रकबा 5.13 बीघा भूमि बुधाराम पुत्र जोराराम 5/6 एवं पालू पत्नि जोराराम के बंट में रखी गई जिस पर पुस्तैनी ढाणी जोराराम के पिता गोरधनराम की बनी हुई थी जो जोराराम के देहावसान के बाद बुधाराम को विरासत मे मिली तथा दूसरी खसरा नम्बर 417/1 की 6 बीघा जमीन वादी के पिता स्वर्गीय बगताराम को बंट में मिली थी बाद में विरासत में मुझ वादी के बंट में मिली है जिस पर मुझ वादी का रहवासीय पक्का मकान पानी का टांका, घास के बाड़े, गाये बांधने का बाडा बने हुए है। वादी हमेंशा इस खसरे की भूमि पर काश्त करता है इस खसरा की 6 बीघा भूमि पर वादी ही काबिज है। वादी ने खेत की सुरक्षा हेतु लोहे के कांटेदार तार एवं जाली की हुई है। वादी के खेत खसरा नम्बर 417/1 रकबा 6 बीघा जमीन के दक्षिण दिशा में जाम्बा से चाखू जाने वाली डामर सड़क जाती है जो वादी के खेत से दूर जाती है सडक और वादी के खेत खसरा नम्बर 417/1 के बीच दूसरे खसरो की जमीन आती है वादी के खेत के किसी भी हिस्से से सड़क टच नहीं होती है। जाम्बा से चाखू जाने वाली सड़क आज से करीब 30–40 साल पहले बनी थी जब वादी नाबलिग था तथा पिता वृद्व थे जब हल्का

22/12/24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पटवारी एंव रेवेन्यू अधिकारियों ने किसी अन्य खातेदार से मिली भगत कर वादी की जमीन खसरा नम्बर 417/1 रकबा 6 बीघा का नामान्तरण अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग फलोदी के पक्ष में तहसीलदार फलोदी से स्वीकृत करवा लिया जो विधि विरूद्व है एंव कानूनी तौर पर गैर वैधानिक है काबिल खारिज के है। म्यूटेशन की नकल साथ में पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड फलोदी ने जवाब पेश कर बताया कि हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मामले का निस्तारण किया जावे। वादी मनोहरराम ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया। वादी के बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बाप की रिपोर्ट के संलग्न मौका रिपोट निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम जाम्बा की ढाणी के खसरा नम्बर 417 जो राजस्व रिकार्ड में बुधाराम पि. जोराराम 5/6 हिस्सा, पालू पत्नि जोराराम 1/6 हिस्सा रकबा 5.13 बीघा बुधारा की रहवासी ढाणी बनी हुई है तथा खसरा नम्बर 417/1 जो राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग रकबा 6.00 बीघा दर्ज है परन्तु मौके पर मनोहरराम पुत्र बगताराम की रहवासीय ढाणी बनी हुई है तथा पानी के दो टांके बने हुवे है। पी.डब्लू.डी सड़क खसरा नम्बर 417/1 से लगभग जरीब दक्षिण में खसरा नम्बर 397 में होकर बनी हुई है। जाम्बा के नामान्तरण संख्या 358 द्वारा खसरा नम्बर 417 रकबा 11.13 बीघा में से 6.00 बीघा पी.डब्लू.डी के नाम भूमि दर्ज की गई है जो गलत दर्ज की गई है। मूल खसरा नम्बर 417 रकबा 11.13 बीघा भूमि में पी. डब्लू.डी की सड़क नहीं बनी हुई है तथा मूल खातेदारों की ढाणी व अन्य निर्माण किया जाकर काश्त की जा रही है।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रतिवादी का जवाब, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया कि ग्राम जाम्बा की ढाणी के खसरा नम्बर 417 रकबा 11.13 बीघा भूमि में से 6.00 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई थी चूंकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 417/1 रकबा 6.00 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम गलत दर्ज की गई है वर्तमान में खसरा नम्बर 417/1 कोई सड़क नहीं बनी हुई उक्त खसरे के खातेदार वादी की ढाणी बनी हुई है, वादी का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक है। प्रतिवादी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद स्वीकार किये जाने के कथन कहे है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

22/12/14

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा जाम्बा की ढाणी के खसरा नम्बर 417/1 रकबा 6.00 बीघा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

22/12/24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. मनोहरराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी रिडमलनगर जाम्बा की ढाणी तहसील बाप

वादी...............

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड फलोदी
2. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादी.........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 67/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मौजा जाम्बा की ढाणी के खसरा नम्बर 417/1 रकबा 6.00 बीघा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक

बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।

22/12/24

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।